कार्यालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास (म0प्र0)

// निविदा आमंत्रण सूचना//

सर्व साधारण को इस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है कि जिला न्यायालय देवास के भवन में निर्मित कैंटीन का संचालन किया जाना है।

अतः इस विज्ञप्ति की निविदा शर्तो के अधीन जो संस्था या व्यक्ति जिला न्यायालय देवास के भवन में निर्मित कैंटीन का संचालन करना चाहता है, वे प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास के कार्यालय में कार्य दिवस के दौरान निविदा के संबंध में आवश्यक शर्तों की जानकारी प्राप्त कर शर्तों अनुसार सीलबंद निविदा अंतिम तिथि **07.09.2022 को दोपहर 3:00 बजे** तक कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत समायावधि उपरांत प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।

निविदा दिनांक 07.09.2022 को निविदाकर्ता/उनके अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष दोपहर 03:00 से 05:00 बजे खोली जावेगी। नीलामी की प्रकिया दिनांक 09.09.2022 को प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक की जाएगी।

साथ ही विस्तृत निविदा दस्तावेज को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाईट www.mphc.gov.in पर देखा जा सकता है।

13.8.22

(प्रभात कुमार मिश्रा)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
देवास म.प्र.

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास (म0प्र0)

विषय :– जिला न्यायालय भवन देवास की बिल्डिंग में स्थित कैंटीन संचालन हेतु निविदा।

जिला न्यायालय भवन देवास की बिल्डिंग में स्थित कैंटीन संचालन हेतु प्रतिष्ठित, पंजीकृत, प्रामाणिक, अनुभवी और पात्र फर्म या व्यक्ति, जिन्होंने समान कार्य किया है या सरकार में कैंटीन चला रहे हैं, से सीलबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। अर्ध–सरकारी संगठन या सार्वजनिक/निजी संस्थान/संगठन और इस निविदा दस्तावेज में अन्य सभी नियमों और शर्तो को पूरा करने वाले निविदाकर्ता/अधोहस्ताक्षरकर्ता जिला न्यायालय देवास में नियत समयावधि में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत समयावधि उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

निर्धारित निविदा प्रारुप/फॉर्म, जिसमें नियम और शर्ते उच्च न्यायालय की वेबसाईट www.mphc.gov.in पर उपलब्ध है। आवेदक/निविदाकर्ता उक्त वेबसाईट से निविदा प्रपत्र/आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते है। बैंक ड्राफ्ट, कार्य अनुभव की प्रति और पैन नंबर "प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवास" के पक्ष में निविदा के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है :–

लाईसेंस शुल्क (न्यूनतम)	रुपये 2,00,000/–
अर्नेस्ट मनी/सिक्योरिटी डिपॉजिट की लागत	रुपये 5,000/–
परफार्मेन्स गारण्टी	रुपये 40,000/–
निविदा प्रपत्र का मूल्य	रुपये 1,000/–
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 07.09.2022 को दोपहर 03:00 बजे
निविदा खुलने का समय	दिनांक 07.09.2022 को दोपहर 03:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक
नीलामी का समय	दिनांक 09.09.2022 से प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे

नोट : अर्नेस्ट मनी एवं निविदा प्रपत्र के मूल्य का भुगतान "प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवास" के पक्ष में आहरित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से करना होगा। इनके बिना निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।

13.8.22

(प्रभात कुमार मिश्रा)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
देवास म.प्र.

निविदाकार का नाम ....
पता ....
फोन नंबर ....

<u>नियम और शर्ते :</u>

1. अनुबंध की अवधि अनुबंध जारी होने की तिथि से एक वर्ष के लिए होगी। अनुबंध अवधि में कैंटीन संचालन का कार्य संतोषजनक पाये जाने की स्थिति में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अनुमोदन उपरांत अनुबंध अवधि 01–01 वर्ष अधिकतम 02 वर्ष तक बढ़ायी जा सकेगी।

2. निविदाकर्ता को निविदा प्रपत्र के साथ निविदा फार्म का मूल्य रुपये 1000/– डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा ''प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवास'' के पक्ष में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा को विचार में नहीं लिया जाएगा।

3. निविदाकर्ता को निविदा दो लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा। जिसमें एक लिफाफे 5000/– रुपये के ''अर्नेस्ट मनी/सिक्योरिटी डिपॉजिट'' के ड्रिमाण्ड ड्राफ्ट का उल्लेख एवं दूसरे लिफाफे में ''निविदा प्रपत्र'' का उल्लेख करना होगा, जिसमें निविदा प्रपत्र एवं अन्य समस्त दस्तावेज रखे जाएगे। अर्नेस्ट मनी/सिक्योरिटी डिपॉजिट के साथ ही निविदा प्रपत्र के मूल्य का डिमाण्ड ड्राफ्ट भी रखना होगा।

4. निविदाकर्ता/लाईसेंसधारक को न्यूनतम रुपये 2,00,000/– (अक्षरी रुपये दो लाख मात्र) वार्षिक लाईसेंस शुल्क के रुप में, देवास में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में देय ''प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवास'' के पक्ष में जारी डिमाण्ड ड्राफ्ट पर प्रस्तुत करना होगा। निविदा उन बोलीदाताओं के बीच स्वीकार की जाएगी, जो इस निविदा के तहत वार्षिक लाईसेंस शुल्क के लिए उच्चतम राशि की बोली लगाएंगे।

5. मात्र उन्हीं निविदाकर्ताओं की निविदा मान्य की जाएगी जो अर्नेस्ट मनी/सिक्योरिटी डिपॉजिट देवास में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में देय ''प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवास'' के पक्ष में जारी डिमाण्ड ड्राफ्ट प्रस्तुत करेंगे। सफल निविदाकार का अर्नेस्ट मनी/सिक्योरिटी डिपॉजिट की राशि अनुबंध समाप्ति के पश्चात् वापस कर दी जावेगी।

6. निविदाकर्ता / लाईसेंसधारक खाद्य / पेय पदार्थों की सूची संबंधित दरों के साथ, जो वे कैंटीन में उपलब्ध कराएंगे, निविदा दस्तावेज के साथ प्रस्तुत करेंगे।

7. निविदाकर्ता / लाईसेंसधारण को भाडा नियंत्रण प्राधिकारी, देवास द्वारा निर्धारित किराये के रुप में मासिक राशि का भुगतान निविदाकर्ता को करना होगा (भविष्य में किराये में बदलाव के अधीन) जिसे प्रत्येक माह की 7 तारीख या उससे पहले अग्रिम रुप से भुगतान किया जाना है। निविदाकर्ता को कब्जा लेने के समय अग्रिम रुप से 03 महीने का किराया देना होगा।

8. निविदाकर्ता / लाईसेंसधारक द्वारा आवेदन के साथ कार्य के अनुभव के संबंध में सरकारी / अर्ध-सरकारी संगठन या सार्वजनिक / निजी संस्थान / संगठन अस्पतालों आदि में कैंटीन चलाने का कम से कम दो साल का अनुभव होना चाहिए। अनुभव के संबंध में संबंधित प्रमाण निविदा के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है। **(दस्तावेज संलग्न करें)**

9. निविदाकर्ता / लाईसेंसधारक द्वारा कैंटीन संचालन हेतु पृथक से बिजली और पानी के शुल्क का भुगतान वास्तविक खपत के अनुसार संबंधित विभाग / संस्थान को करना होगा।

10. निविदाकर्ता / लाईसेंसधारक द्वारा मासिक किराया जमा नहीं कराये जाने, परिसर की साफ-सफाई उचित रुप से न किये जाने व खाद्य वस्तु की स्वच्छता का ध्यान नहीं रखे जाने पर 100/- रुपये प्रतिदिन, अधिकतम रुपये 2500/-प्रतिमाह भुगतान करना होगा।

11. निविदाकर्ता / लाईसेंसधारक को कैंटीन संचालन के लिए किसी अन्य व्यक्ति को उप-किराये पर देने, सौंपने या अधिकृत करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

12. निविदाकर्ता / लाईसेंसधारक कैंटीन के रखरखाव के लिये जिम्मेदार होगा, हर समय पूर्ण स्वच्छ और स्वच्छस्थिति और सक्षम प्राधिकारी या / प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास द्वारा लगाए गए किसी भी / सभी दंड के लिये जिम्मेदार होगा।

13. निविदाकर्ता / लाईसेंसधारक नगर निगम और कैंटीन चलाने के लिये आवश्यक अन्य सक्षम अधिकारियों से प्रमाण–पत्र / लाईसेंस प्राप्त करेगा। **(दस्तावेज संलग्न करें)**

14. निविदा प्रपत्र के साथ निविदा प्रपत्र के साथ निविदाकर्ता को अपने स्थापना के पंजीयन का प्रमाण–पत्र, पेन कार्ड, जी.एस.टी. पंजीयन का प्रमाण–पत्र आदि संलग्न करना अनिवार्य होगा **(दस्तावेज संलग्न करें)**

15. कैंटीन कक्ष के पास स्थित खुले स्थान पर निविदाकर्ता / लाईसेंसधारक का कोई अधिकार नहीं होगा।

16. निविदाकर्ता / लाईसेंसधारक को लाईसेंस प्राप्त परिसर / क्षेत्र के अनन्य कब्जे में माना जाएगा और लाईसेंसकर्ता को कैंटीन परिसर का निरीक्षण करने के लिये कार्य घंटों के दौरान किसी भी समय परिसर में प्रवेश करने का अधिकार होगा।

17. निविदाकर्ता / लाईसेंसधारक द्वारा उपयोग किये जाने वाले कच्चे माल / सब्जियों की गुणवत्ता अच्छी / ताजा गुणवत्ता की होनी चाहिए और नियम, कानून और विनियमों के अनुसार लागू होना चाहिए। विक्रेता को समय–समय पर लागू होने वाले निविदा दस्तावेज और कानून के अनुसार गुणवत्ता और मात्रा बनाए रखने के लिये घोषणा / वचनबद्धता प्रस्तुत करनी होगी, जिसका उल्लंघन बिना सूचना के लाईसेंस की समाप्ति के लिये आधार होगा।

18. निविदाकर्ता / लाईसेंसधारक द्वारा कैंटीन के उपयोग हेतु नाश्ता / अन्य सेवाओं की गुणवत्ता की समय–समय पर जॉच की जाएगी और असंतोषजनक पाए जाने पर लाईसेंसकर्ता / प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवास द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के और बिना कोई कारण बताये लाईसेंस किसी भी समय रद्द किया जा सकता है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास के पास बिना किसी सूचना के भी आवश्यक समझे जाने पर जुर्माना लगाने का पूरा अधिकार सुरक्षित है।

19. निविदाकर्ता / लाईसेंसधारक द्वारा उपयोग किये जा रहे कॉकरी और खाना पकाने के बर्तन आदि हमेशा अच्छी स्थिति में एवं अच्छी गुणवत्ता के रखना होंगे।

20. निविदाकर्ता / लाईसेंसधारक के सभी नियुक्त कर्मचारी स्वच्छ एवं उचित वर्दी पहनेंगे तथा आई.डी. कार्ड लाईसेंसधारी द्वारा प्रदान किया जाएगा।

21. कैंटीन परिसर का उपयोग आवासीय उद्देश्य के लिये नहीं किया जाएगा। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास की लिखित अनुमति के बिना किसी भी कर्मचारी या व्यक्ति को रात में कैंटीन में रहने / काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

22. कैंटीन में कामगारों के आचरण / चरित्र / पूर्ववृत्त और उचित आचरण एवं व्यवहार की पूरी जिम्मेदारी कैंटीन ठेकेदार की होगी। लाईसेंसधारी को अपने सभी कर्मचारियों (स्थायी, अस्थायी, आकस्मिक) का आवश्यक विवरण प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास को प्रदान करना होगा।

23. निविदाकर्ता / लाईसेंसधारक को किसी भी कीमत पर आदेश देने में समय की पाबंदी बनाये रखनी चाहिए। अनुज्ञप्तिधारी को आवश्यकता पड़ने पर संगोष्ठियों और बैठकों में नाश्ते / दोपहर के भोजन / रात्रिभोज की विशेष व्यवस्था भी करनी होगी।

24. निविदाकर्ता / लाईसेंसधारक प्राप्त परिसर को अच्छी स्थिति में बनाये रखेगा और उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। यदि लाईसेंसधारी या उसके कर्मचारियों, कर्मचारियों या आपूर्तिकर्ता द्वारा परिसर को कोई नुकसान होता है, तो उसकी मरम्मत लाईसेंसधारी द्वारा या तो क्षति को ठीक करके या लाईसेंसकर्ता द्वारा निर्धारित नगद मुआवजे का भुगतान कर की जाएगी। किसी भी प्राकृतिक आपदा या निविदाकर्ता / लाईसेंसधारक एवं उसके कर्मचारियों की लापरवाही के कारण हुई क्षति के लिये लाईसेंसधारक से शुल्क लिया जाएगा।

25. लाईसेंस प्राप्त परिसर का उपयोग केवल कैंटीन के व्यवसाय को चलाने के लिये किया जाएगा और किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जाएगा।

26. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ग्राहक एवं कर्मचारियों से किसी तरह का वाद विवाद नहीं करेगा।

27. लाईसेंसधारी कैंटीन परिसर में न तो कोई खतरनाक सामान, प्रतिबंधित / अवैध / विषाक्त सामग्री, पान, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट और शराब आदि विक्रय नहीं करेगा।

28. लाईसेंसधारी बिना अनुमति के इलेक्ट्रिक हीटर या अन्य किसी भारी शुल्क वाले बिजली के उपकरणों का उपयोग नहीं करेगा।

29. जल संकट होने पर लाईसेंसधारी को अपने खर्च पर पानी की टंकी की व्यवस्था करनी होगी।

30. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा परिसर की सुरक्षा हेतु अग्नि विनियम के अनुसार रसोई में अग्निशामक उपकरण स्थापित करेगा और परिसर को हानिरहित रखेगा और लाईसेंसधारी या उसके कर्मचारियों की ओर से किसी संपत्ति या कर्मचारियों की ओर से आग, चोरी या लापरवाही के कारण होने वाली किसी भी क्षति के लिये क्षतिपूर्ति करेगा। परिसर में किसी प्रकार की क्षति/हानि होने की स्थिति में उक्त नुकसान की भरपाई लाईसेंसधारी को करना होगी। निविदा की शर्तो का पूर्ण रुप से पालन करना होगा।

31. लाईसेंसधारी के किसी भी कर्मचारी को कैंटीन परिसर में सिगरेट, पान, गुटखा, शराब, सिगरेट और तंबाकू/शराब आदि से बनी अन्य वस्तुओं को बेचने की अनुमति नहीं होगी।

32. अनुज्ञप्तिधारी उक्त परिसर में कोई परिवर्धन या परिवर्तन या संरचनात्मक मरम्मत नहीं करेगा। केवल ऐसे परिवर्तन या परिवर्धन या मरम्मत जो आवश्यक हैं और स्थायी प्रकृति के नहीं हैं, लाईसेंसधारी द्वारा किये जाने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन वह भी लाईसेंसकर्ता की पूर्व स्वीकृति/अनुमति के साथ।

33. कैंटीन संचालन का समय कार्य दिवसों में प्रातः 10:00 बजे से सायं 07:00 बजे तक होगा तथा अवकाश दिवसों में आवश्यकतानुसार कैंटीन का संचालन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास के निर्देशानुसार करना होगा।

34. निविदाकर्ता/लाईसेंसधारक द्वारा कैंटीन संचालन में सफाई के मानक, उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता को न बनाये रखने की स्थिति में परफार्मेन्स गारण्टी, अर्नेस्ट मनी/सिक्योरिटी डिपॉजिट एवं अग्रिम किराया जब्त किया जावेगा एवं उक्त राशि समायोजन योग्य नहीं होगी।

35. निविदाएँ खोलने के उपरांत प्रशासनिक समिति द्वारा परिसर का निरीक्षण कर सकती है और काम करने के अनुभव के समर्थन में सेवा प्रदाता द्वारा निर्दिष्ट पके हुये सामान की तैयारी की जॉच कर सकती है।

36. कैंटीन से संबंधित मामलों में लाईसेंसकर्ता/प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास का निर्णय अंतिम और लाईसेंसधारी पर बाध्यकारी होगा।

37. लाईसेंसकर्ता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को किसी भी समय कैंटीन की रसोई में जाने का अधिकार है ताकि लाईसेंसधारी द्वारा देखी जा रही स्वच्छता की स्थिति को सत्यापित किया जा सके।

38. अनुज्ञप्तिधारी को निविदा दस्तावेज में उल्लेखित के अलावा किसी अन्य वस्तु को जोड़ने की अनुमति नहीं होगी। यदि अनुज्ञप्तिधारी किसी वस्तु को सूची में जोड़ना चाहता है, तो उसे मद एवं उनकी दरों सहित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास की अनुमति लेनी होगी।

39. अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्तकर्ता दोनों एक माह पूर्व सूचना देकर संविदा की अवधि के दौरान किसी भ समय संविदा छोड़ सकते हैं।

40. लाईसेंस की उक्त अवधि या अवधि की समाप्ति या उसके पूर्व समाप्ति पर, लाईसेंसधारी लाईसेंस प्राप्त परिसर के खाली कब्जे को लाईसेंसकर्ता को उसी स्थिति में शांतिपूर्वक सौंप देगा। निविदाकर्ता/लाईसेंसधारक की अनुबंध अवधि समाप्त होने के पश्चात् परिसर में लाईसेंसधारी के कब्जे को एक अतिचार के रुप में माना जाएगा और वह आगे नुकसान का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी होगा और प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवास या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि, इस संबंध में लाईसेंसधारी को अस्वीकार करने का अधिकार होगा।

41. अनुज्ञप्तिधारी/ठेकेदार एक शिकायत पुस्तिका रखेंगे, जो अनुज्ञप्तिधारी/ठेकेदार द्वारा किसी भी व्यक्ति को जो कोई भी शिकायत दर्ज करने की इच्छा रखता है, उपलब्ध करायी जायेगी और जिसे प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास एवं अन्य कार्यालय/व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिये खोला जाएगा।

42. निविदा 07/09/2022 को दोपहर 03:00 बजे से 05:00 बजे तक जिला न्यायालय भवन, देवास के प्रथम तल पर निश्चित कान्फ्रेन्स रुम में निविदाकर्ता/उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी। यदि प्रशासनिक कारण से निविदा खुलने की तिथि को अवकाश घोषित होता है, तो ऐसी स्थिति में निविदा अगले कार्य दिवस को नियत समय पर खोली जाएगी।

43. सफल निविदाकर्ता को परफार्मेन्स गारण्टी के रुप में रुपये 40,000/- का राष्ट्रीयकृत बैंक में देय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवास के पक्ष में जारी डिमाण्ड ड्राफ्ट पर प्रस्तुत करना होगा। सुरक्षा निधि के रुप में जमा राशि सफल निविदाकर्ता को अनुबंध अनुसार कार्य संतोषजनक होने पर अनुबंध समाप्ति के 60 दिवस उपरांत बिना ब्याज के लौटाई जावेगी। सफल निविदाकर्ता अथवा उसके कर्मचारी द्वारा कैंटीन कक्ष में किसी प्रकार का नुकसान किये जाने की स्थिति में नुकसान का व्यय परफार्मेन्स गारण्टी के रुप में जमा राशि से किया जाएगा।

44. सफल निविदाकार को अनुबंध निष्पादन करना होगा। अनुबंध निष्पादन का समस्त व्यय सफल निविदाकार द्वारा ही वहन किया जाएगा।

45. अनुबंध निष्पादित करने के समय ही देवास में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में देय "प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवास" के पक्ष में जारी रुपये 40000/- का परफार्मेन्स गारण्टी का डिमाण्ड ड्राफ्ट पर प्रस्तुत करना होगा।

46. सफल निविदाकार द्वारा निविदा स्वीकृति आदेश जारी होने के 07 दिवस के भीतर अनुबंध निष्पादित न करने की दशा में अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जाएगी।

47. सफल निविदाकार को लाईसेंस फीस का भुगतान 03 समान किश्तों में करना होगा। प्रथम किश्त अनुबंध निष्पादित होने के 07 दिवस के भीतर एवं 3-3 माह के अंतराल में शेष 02 किश्तें जमा करनी होगी।

<u>कार्य का आवंटन - खुली नीलामी</u>

अ. जिला एवं सत्र न्यायालय देवास के कैंटीन का संचालन हेतु निविदाकार के चयन का आधार वार्षिक लाईसेंस फीस के लिये खुली नीलामी में अधिकतम बोली लगाने वाले निविदाकार का होगा।

ब. नीलामी दिनांक 09.09.2022 को प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक की जाएगी। उन्हीं निविदाकारों को नीलामी में भाग लेने की अनुमति होगी जो अर्नेस्ट मनी / सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करेंगे और जो निविदा की न्यूनतम अर्हता पूर्ण करते होंगे।

स. प्रस्तावित निविदाकार के प्रतिनिधि को नीलामी में भाग लेने के लिये अपने अधिकृत प्रतिनिधि को अधिकार–पत्र जारी करना होगा। अधिकार–पत्र के बिना किसी भी व्यक्ति को नीलामी में भाग लेने नहीं दिया जाएगा।

मध्यस्थता :–

सफल निविदाकर्ता द्वारा अनुबंध में उल्लेखित शर्तो के अनुसार कैंटीन संचालन का कार्य, सामग्री की गुणवत्ता अथवा किसी प्रकार को कोई प्रश्न, दावा, अधिकार, बात या बात के रुप में किसी भी तरह से अनुबंध अनुमान, निर्देश, आदेश आदेश या इन शर्तों से उत्पन्न या उससे संबंधित किसी भी तरह से या अन्यथा कार्य या निष्पादन या इसे निष्पादित करने में विफलता से संबंधित है चाहे वह कार्य की प्रगति के दौरान या पूरा होने या उसके परित्याग के बाद उत्पन्न हो, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवास या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी को संदर्भित किया जा सकेगा।

13.8.22

(प्रभात कुमार मिश्रा)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
देवास म.प्र.